इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018—पौष 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 924-13-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१८

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, २०१८

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

२. परिभाषाएं.

३. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.

४. मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि.

५. उपकर का भार.

6. उपकर का संदाय

७. रजिस्ट्रीकरण.

८. कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय.

९. फर्मों का दायित्व.

१०. उपकर प्राधिकारी.

११. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

१२. कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति

१३. वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

१४. कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना

१५. नियम बनाने की शक्ति.

१६. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१८

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, २०१८

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १६ जनवरी, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य में परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य में हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए अध्यादेश.

चूंकि राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१.(१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, २०१८ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२.(१) इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''उपकर'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन उद्गृहीत हाई स्पीड डीजल के कर योग्य कुल राशि पर देय उपकर;

(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो हाई स्पीड डीजल के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है;

(ग) ''रजिस्ट्रीकृत व्यापारी'' से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;

(घ) ''नियम'' से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम;

(ङ) ''कर'' से अभिप्रेत है, वेट अधिनियम के अधीन देय कर और अतिरिक्त कर;

(च) किसी व्यापारी के संबंध में ''कर योग्य कुल राशि'' (टैक्सेबल टन ओवर) से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथ में ऐसे हाई स्पीड डीजल के उस विक्रय मूल्य को, जिससे इसे क्रय किया गया है तथा जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपकर संदत्त किया है, घटाने के पश्चात् शेष बचता है;

(छ) ''कुल राशि (टर्न ओवर)'' से अभिप्रेत है, हाई स्पीड डीजल के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि जिसमें खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कर की राशि सम्मिलित है,

(ज) ''वेट अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२)

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयोग में लाई गई हैं और परिभाषित नहीं की गई है किन्तु वेट अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.

३.(१) मध्यप्रदेश राज्य में परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर हाई स्पीड डीजल के व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उपकर, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसे हाई स्पीड डीजल की करयोग्य कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से ऐसी रीति में उद्गृहीत किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत उपकर व्यापारी द्वारा देय होगा.

मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि.

४. (१) इस अध्यादेश के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज (जुर्माने को छोड़कर) के आगम, प्रथमत: राज्य संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुई वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात्, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकरूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से ज्ञात, एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे.

(२) मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को राज्य के भीतर परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा.

उपकर का भार.

५. वेट अधिनियम के अधीन हाई स्पीड डीजल पर कर का भुगतान करने के लिये दायी प्रत्येक व्यापारी, इस अध्यादेश के अधीन उसके हाई स्पीड डीजल की करयोग्य कुल राशि पर, उपकर के भुगतान का दायी होगा.

उपकर का भुगतान

६. धारा ३ के अधीन उद्गृहीत उपकर, व्यापारी द्वारा, ऐसी रीति में देय होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

रजिस्ट्रीकरण.

७. वेट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हाई स्पीड डीजल में संव्यवहार कर रहे प्रत्येक व्यापारी को इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा.

कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय.

८. जहां धारा ३ के अधीन हाई स्पीड डीजल की करयोग्य कुल राशि पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता हो और ऐसा हाई स्पीड डीजल उसके बाद किसी व्यापारी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय कर दिया जाता है या भारत की सीमा के बाहर निर्यात कर दिया जाता है वहां व्यापारी इस निमित्त दिए गए आवेदन पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं, उसके द्वारा किए गए हाई स्पीड डीजल के ऐसे विक्रय के संबंध में उपकर के प्रतिदाय का हकदार होगा.

फर्मों का दायित्व.

९. जहां कोई कारबार किसी फर्म के स्वामित्व का है या उसके द्वारा प्रबंधित या चलाया जा रहा है वहां फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार, इस अध्यादेश के अधीन संयुक्तत: और पृथक्त: उपकर के भुगतान का दायी होगा:

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है वहां उसकी सेवानिवृत्ति के समय वह इस अध्यादेश के अधीन शेष रहे देय उपकर, शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि के और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक शोध्य हुआ कोई उपकर, चाहे उपकर या शास्ति या ब्याज के उद्ग्रहण का निर्धारण पश्चात्वर्ती तारीख को किया गया है, भुगतान का दायी होगा.

उपकर प्राधिकारी

१०. इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, वेट अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और प्राधिकारी इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी समझे जाएंगे.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

११. आयुक्त, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, धारा १० के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति.

१२. आयुक्त, किसी व्यापारी को सम्यक्, सूचना के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन, किन्हीं कार्यवाहियों अथवा कार्यवाहियों के वर्ग को स्वयं के पास से किसी अन्य अधिकारी को अंतरित कर सकेगा और इसी प्रकार किसी ऐसे अधिकारी से दूसरे अधिकारी या स्वयं को किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को (इस धारा के अधीन पहले से अंतरित कार्यवाहियां को सम्मिलित करते हुए) अंतरित कर सकेगा.

वेट अधिनियमों के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

१३. इस अध्यादेश तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं जिसमें रजिस्ट्रीकरण, कर भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण, विवरणियां, निर्धारण, स्व-निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर का भुगतान एवं वसूली, लेखे, कर अपवंचन की पहचान और उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराध और शास्तियां तथा अन्य प्रकीर्ण विषय से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी को इस अध्यादेश के अधीन उद्गृहीत और देय उपकर, ब्याज या शास्ति के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध इस अध्यादेश में यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अध्यादेश में समाविष्ट कर लिए गए हों और यह समझा जाएगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाए गए या जारी किये गये थे/जारी की गई थी जो इस अध्यादेश में इस प्रकार समाविष्ट किए गए हैं.

कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना.

१४. (१) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई भी बात, हाई स्पीड डीजल की कुल राशि (टर्नओवर) पर किसी उपकर को अधिरोपित करना या अधिरोपण प्राधिकृत करना नहीं समझी जाएगी, जहां ऐसा विक्रय—

(क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या

(ख) भारत के क्षेत्र में ऐसे हाई स्पीड डीजल को आयात या ऐसे क्षेत्र से माल के निर्यात के अनुक्रम में, या

(ग) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, या

(घ) जहां ऐसा विक्रय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, २००५ (२००५ का २८) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में अवस्थित इकाई को,
किया जाता हो.

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां कोई विक्रय—

(क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या

(ख) भारत क्षेत्र के भीतर आयात के अनुक्रम में या ऐसे क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात, या

(ग) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता हो, तो इसका निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ३, ४ और ५ में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१५. (१) राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी,—

(क) प्ररूप और रीति जिसमें विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी;

(ख) प्ररूप और रीति जिसमें और कालावधि जिसके पहले उपकर का भुगतान किया जाएगा;

(ग) प्ररूप जिसमें निर्धारण का आदेश पारित किया जाएगा;

(घ) प्ररूप जिसमें मांग पत्र की सूचना जारी की जाएगी.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१६. इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

भोपाल :
तारीख १२ मार्च, २०१८.

ओम प्रकाश कोहली
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 924-13-इक्कीस-अ-(प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO.1 OF 2018

THE MADHYA PRADESH HIGH SPEED DIESEL UPKAR ADHYADESH, 2018

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Levy and collection of cess.
4. Madhya Pradesh Transport Infrastructure Development Fund.
5. Incidence of cess.
6. Payment of cess.
7. Registration.
8. Refund in certain circumstances.
9. Liability of firms.
10. Cess Authorities.
11. Delegation of powers.
12. Powers to transfer proceedings.
13. Certain provisions of VAT Act to apply.
14. Certain sales not liable to cess.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO.1 OF 2018

THE MADHYA PRADESH HIGH SPEED DIESEL UPKAR ADHYADESH, 2018

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2018.]

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

An Ordinance to levy cess on sale of High Speed Diesel in the State of Madhya Pradesh for the purpose of providing fund for development of transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh or for repaying the loan taken therefor.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

NOW THEREFORE, in exercise' of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhyadesh, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "cess" means the cess payable on the taxable turnover of High Speed Diesel levied under section 3;

(b) "dealer" means any person who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing High Speed Diesel;

(c) "registered dealer" means a dealer registered under this Ordinance;

(d) "rules" means rules made under this Ordinance;

(e) "tax" means tax and additional tax payable under the VAT Act;

(f) "taxable turnover" in relation to a dealer means that part of dealer's turnover which remains after deducting therefrom the sale price of High Speed Diesel at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to the condition that the selling registered declare has paid cess such sale price;

(g) "turnover" means aggregate of the amount of sale prices received and receivable by a dealer in respect of any sale or supply or distribution of High Speed Diesel including the amount of tax as defined in clause (e);

(h) "VAT Act" means the Madhya Pradesh Vat Act,2002 (No. 20 of 2002).

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the VAT Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

Levy and collection of cess.

3 (1) For the purpose of providing fund for the development of transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh, there shall be levied and collected a cess on the taxable turnover of High Speed Diesel of a dealer, within the State.

(2) The cess under sub-section (i) shall be levied for such period as notified by the State Government at the rate of one percent of the taxable turnover of such High Speed Diesel, in such manner as may be prescribed.

(3) The cess levied under sub-section (1) shall be payable by the dealer.

Madhya Pradesh Transport Infrastructure Development Fund.

4. (1) The proceeds of the cess and interest (other than Transport fines) recovered under this Ordinance shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery therefrom shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, separate fund called the Madhya Pradesh Transport infrastructure Development Fund.

(2) The amount transferred to the Madhya Pradesh Transport Infrastructure Development Fund shall be expensed for the development of transport infrastructure within the State or for repaying the loan taken therefor.

Incidence of cess.

5. Every dealer liable to pay tax on High Speed Diesel under VAT Act shall be liable to pay cess on his taxable turnover of High Speed Diesel under this Ordinance.

Payment of cess.

6. The cess levied under section 3 shall be payable by the dealer in such manner as may be prescribed.

Registration.

7, Every dealer registered under the VAT Act dealing in High Speed Diesel shall be deemed registered dealer under this Ordinance.

Refund in certain circumstances.

8. Where cess under section 3 is levied and collected on the taxable turnover of High Speed Diesel and such High Speed Diesel is subsequently sold by a dealer in the course of inter-State trade or commerce or exported out of the territory of India, the dealer shall, upon an application made in this behalf and subject to such conditions as may be prescribed, be entitled to refund of cess in respect of such sale by him of the High Speed Diesel.

Liability of firms.

9. Where a business is owned, managed or run by a firm. the firm and each of the partners of the firm shall jointly and severally be liable to pay cess under this Ordinance :

Provided that where any partner retires from the firm he shall be liable to pay the cess, penalty, interest or any other amount payable under this Ordinance remaining unpaid at the time of his retirement, and any cess due up to the date of his retirement, even if assessment of cess, or levy of penalty or interest is made at a later date.

Cess Authorities.

10. For carrying out the purposes of this Ordinance, the officers and authorities appointed under VAT Act shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Ordinance.

Delegation of Powers.

11. Subject to the general or special orders of the State Government, the Commissioner may delegate any of the powers conferred upon him by or under this Ordinance to any person appointed to assist him under section 10.

Powers to transfer proceedings.

12. The Commissioner may, after due notice to the dealer, by order in writing, transfer any proceedings or class of proceedings under any provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, from himself to any other officer and he may likewise transfer any such proceedings (including proceeding already transferred under this section) from one such officer to another officer or to himself.

Certain provisions of VAT Act to apply.

13. Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the provisions of the VAT Act and the rules made, orders and notifications issued thereunder, including the provisions relating to registration, determination of liability to pay tax, returns, assessment, self-assessment, reassessment, payment and recovery of tax, accounts, detection and prevention of tax evasion, refund, appeal, revision, rectification, offences and penalties and other miscellaneous matter, shall mutatis mutandis apply to a dealer in respect of cess, interest or penalty levied and payable under this Ordinance as if these provisions were mutatis mutandis incorporated in this Ordinance and it shall be deemed that the rules made and orders and notifications issued under those provisions were mutatis mutandis made or issued under the relevant provisions as so incorporated in this Ordinance.

Certain sales not liable to cess.

14, (1) Nothing in this Ordinance or the rules made thereunder, shall be deemed to impose or authorize the imposition of a cess on any turnover of High Speed Diesel where such sales takes place—

(a) outside the State of Madhya Pradesh, or

(b) in the course of the import of such High Speed Diesel into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or

(c) in the course of inter-State trade or commerce, or

(d) where such sale is made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Central Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005).

(2) For the purpose of this section, where a sale takes place—

(a) outside the State of Madhya Pradesh, or

(b) in the course of import of the goods into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or

(c) in the course of inter-State trade or commerce, it shall be determined in accordance with the principles specified in Sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

Power to make rules.

15. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules prescribing,—

(a) the form and the manner in which the returns shall be fiied;

(b) the form and the manner in which and the period before which cess shall be paid;

(c) the form in which the order of assessment shall be passed;

(d) the form in which notice of demand shall be issued.

(3) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may by general or special order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Ordinance, as appear to be necessary or expedient for removal of the difficulty.

BHOPAL :
Dated the 12th January 2018

OM PRAKASH KOHLI
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.